मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 9503 /22/वि–12/ग्रा.स.प्रा./लेखा/18 भोपाल दिनांक : 5.5.18

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना कियान्वयन इकाई
.... (म.प्र.)

विषय– प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पी.एम.एम.एस मे माध्यम से भुगतान व्यवस्था।

संदर्भ– 1. कार्यालयीन पत्र कमांक 6517 दिनांक 28.03.2018
2. कार्यालयीन पत्र कमांक 8696 दिनांक 27.04.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्रों का अवलोकन करे, शीघ्र ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पी.एम.एम.एस के माध्यम से भुगतान व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है। इस संबंध में इकाई पर कार्यरत संविदाकारों के बैक अकाउट से संबंध से समस्त जानकारी अपडेट करने के संबंध में संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय–समय पर इकाई को निर्देश जारी किये गये है। दिनांक 02.05.2018 को भारत सरकार स्तर पर अयोजित प्रशिक्षण कार्यकम में इकाई स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है:–

1. इकाई द्वारा ओ.एम.एम.ए.एस पर उपल्बध समस्त महाप्रबंधको के digital signature पी.एफ.एम.एम.एस पर पंजीकृत किया जाना है। इस संबंध में ओ.एम.एम.ए.एस. पर निम्नानुसार प्रकिया के माध्यम से digital signature पी.एफ.एम.एस. पर रजिस्टर किए जा सकते हैं :–
   - 1.1 महाप्रबंधक के डिजिटल सिग्नेचर का डोगल लगाने के उपरान्त e-pay mp Login वाले माड्यूल पर लॉगिन करेगें।
   - 1.2 उक्त लॉगिन पर रजिस्टर digital signature बटन पर क्लिक करेगे।
   - 1.3 popup window display होगी जिसमें digital signature का चयन करेगें।
   - 1.4 उक्त प्रकिया से digital signature पी.एफ.एम.एस. पर रजिस्टर हो जायेगा।

2. ओ.एम.एम.ए.एस पर पंजीकृत संविदाकारो के बैंक अकाउंट एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी ओ.एम.एम.एस पर अपडेट किया जाना है। **पी.एफ.एम.एम.एस से भुगतान करने हेतु यह अनिवार्य है कि एक राज्य में संविदाकार द्वारा केवल एक ही बैक अकांउट का संचालन किया जा सकता है अतः बैंक अकाउट अपडेट करने के पूर्व संविदाकार से लिखित जानकारी प्राप्त कर लेवें कि उसके किस बैंक अकाउट में राशि हस्तारित किया जाना है।**

संविदाकारो के बैंक अकाउंट एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी ओ.एम.एम.ए.एस के तकनीकी माड्यूल पर निम्नानुसार प्रकिया का पालन कर अपडेट किया जा सकता है:–

- 2.1 ओ.एम.एम.ए.एस पर तकनीकी लॉगिन से लॉगिन करेगें
- 2.2 मास्टर डॉटा एन्ट्री ऑपशन का चयन करेगे।
- 2.3 कान्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑपशन का चयन करेगे। इससे इकाई के सभी संविदाकारों की सूची कम्प्यूटर स्कीन पर दिखाई देगी।
- 2.4 सूची के अंतिम द्वितीय कॉलम में बैंक ऑपशन दिया गया है।

2.5 जिस संविदाकार के बैंक संबंधी जानकारी को अपडेट किया जाना है, उसका चयन करेगें।

2.6 संविदाकार की वर्तमान में उपलब्ध बैंक संबंधी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

2.7 संविदाकार का चयन करने के उपरान्त अंतिम कॉलम में दिखाई दे रहे / (Edit Bank Detail) का चयन करेगें।

2.8 उक्त स्क्रीन पर बैंक संबंधी जानकारी अपडेट की जा सकती है।

2.9 बैंक का नाम Bank Name dropdown चयन सूची से ही लिया जाना अनिवार्य है।

2.10 संविदाकार की बैंक संबंधी सभी आवश्यक जानकारी अपडेट करने के उपरान्त अपडेट बटन का चयन करेगे।

उक्त प्रक्रिया के अनुरूप शीघ्र कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4.5.2018

(दिनेश सुहाने)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ.क्र. 9504 / 22 / वि–12 / ग्रा.स.प्रा. / लेखा / 18 भोपाल दिनांक : 5/5/18

प्रतिलिपि–

1. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ
2. प्रबंधक आई.टी. म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4.5.18

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल